

130

से पत्रावली दिनांक 20/8/24 को पेश हो।

20/8/24

पत्रावली पेश हुई वादीगण मथ अपिक्वस्ता
उपस्थित नहीं। वाद-2 व रक-रक कर आवाज
लगाने पर वादीगण व उनके अपिक्वस्ता
न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। अतः वादीगण
का वाद अदम हाजरी व अदम पत्रावली में खारीज
किया जाता है। ✓

उपखण्ड अधिकारी
सांडल जिला भीलवाड़ा